

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर
वित्त भवन" जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई)/ (कै-259/89)/ अलेसे-III/541

दिनांक :- 26/07/2024

आदेश संख्या : 146 /2024-25

श्री कैलाश चन्द रैगर (लिक नं. 8460) कनिष्ठ लेखाकार तात्कालीन कार्यालय तहसीलदार मौजमाबाद जिला दूदू जिनकी जन्म तिथि 01/01/1969 है, ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 01/08/2024 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध किया है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996, के नियम 50 (1) के अन्तर्गत इन्हें दिनांक 01/08/2024 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

श्री कैलाश चन्द रैगर की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 17/07/1991 है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12(6) वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री कैलाश चन्द रैगर के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।


(भूपेश माथुर)

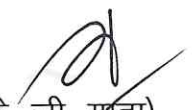
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.4(ई)/ (कै-259/89)/ अलेसे-III/541

दिनांक :- 26/07/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
3. तहसीलदार, मौजमाबाद जिला दूदू।
4. कोषाधिकारी, दूदू।
5. श्री कैलाश चन्द रैगर (लिक नं. 8460) कनिष्ठ लेखाकार तात्कालीन कार्यालय तहसीलदार मौजमाबाद जिला दूदू।
6. निजी सचिव, निदेशक।
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट।


(के. जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)